बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक............................

संख्या–8 / आ०5–33 / 2024....................... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक H–98 दिनांक 08.06.2024 द्वारा श्री सुधीर कान्त शर्मा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास–सम्प्रति–निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय के विरूद्ध क्षेत्राधीन विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करने एवं उसके संबंध में जानकारी नहीं होने, विद्यालयों में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करने तथा राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा पृच्छा करने पर सुधार के प्रति कोई संवेदना प्रदर्शित नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 585 दिनांक 22.07.2024 द्वारा श्री शर्मा से लिखित बचाव अभिकथन की मॉंग की गयी। तदालोक में श्री शर्मा द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री शर्मा द्वारा अपने लिखित बचाव अभिकथन में अंकित किया गया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनी टोला, बिक्रमगंज, उर्दू प्राथमिक विद्यालय, मोहनी, बिक्रमगंज, मध्य विद्यालय, मठिया, बिक्रमगंज, मध्य विद्यालय, कस्तर, बिक्रमगंज, रामाधार सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनगाई बिक्रमगंज के निरीक्षणोंपरांत विद्यालय में पायी गयी कमियों के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मॉंग करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। प्रखंड संसाधन केन्द्र, बिक्रमगंज में पदस्थापित कनीय अभियंता श्री प्रमोद रजक द्वारा प्रखंड अंतर्गत विद्यालयों में माइनर रिपेयर एवं असैनिक कार्यों के संबंध में हमेशा डॉंट–फटकार लगायी गयी तथा गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर कार्य हेतु निदेशित किया जाता रहा। कार्यालय पत्रांक 178 दिनांक 21.02.2024 द्वारा कनीय अभियंता के मनमानेपन एवं नियम विरूद्ध कार्य करने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास सासाराम को आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया। प्रखंड संसाधन केन्द्र, बिक्रमगंज में पदस्थापित लेखापाल श्री अजीत कुमार के कार्यशैली, कार्य अक्षमता एवं लापरवाही रवैया आदि की शिकायत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, रोहतास सासाराम से पत्रांक 350 दिनांक 25.05.2024 द्वारा की गयी एवं इनके स्थान पर अन्य के पदस्थापन का अनुरोध भी किया गया। प्रखंड संसाधन केन्द्र, बिक्रमगंज को वर्ग 01–03 का FLN KIT प्राप्त होते ही दिनांक 12.02.2024 को विद्यालयों को हस्तगत करा दिया गया एवं ज्ञापांक 166 दिनांक 10.02.2024 द्वारा निदेशित किया गया कि सभी विद्यालय प्रधान शत् प्रतिशत FLN KIT वितरित करना सुनिश्चित करेंगे तथा निरीक्षण के क्रम में अवितरित FLN KIT पाये जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। प्रखंड संसाधन केन्द्र, बिक्रमगंज के सभी विद्यालय प्रधान को वर्ष 2024–25 का वर्ग 01 से 08 तक के बच्चों के लिए पुस्तक उठाव हेतु ज्ञापांक 267 दिनांक 08.04.2024 द्वारा निदेशित किया गया। साथ ही सख्त हिदायत दी गयी कि शत् प्रतिशत पाठ्य–पुस्तकों का वितरण बच्चों को करना सुनिश्चित करेंगे। पुनः ज्ञापांक 333 दिनांक 20.05.2024 द्वारा सभी विद्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि सभी बच्चों को FLN KIT एवं पाठ्य–पुस्तकों का शत् प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें। अवितरित FLN KIT या पाठ्य–पुस्तक पायी जाती है तो

विद्यालय प्रधान के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को लिख दिया जायेगा। समय–समय पर गुरूगोष्ठी एवं पत्रों के माध्यम से विद्यालयों में सुधार हेतु सदैव निदेश दिये जाते रहे। उक्त लिखित विद्यालयों के जाँचोपरांत अपने स्तर से अनुशासनिक कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों को पत्र समर्पित किया गया।

श्री शर्मा से प्राप्त उक्त लिखित बचाव अभिकथन पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास से मंतव्य की मांग की गयी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 218 दिनांक 05.12.2025 द्वारा श्री शर्मा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि श्री सुधीरकान्त शर्मा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचिका में संलग्न पत्रों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है। अतः आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

श्री शर्मा के विरूद्ध प्राप्त आरोप, उनसे प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सुधीर कान्त शर्मा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास–सम्प्रति–निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय को चेतावनी देते हुए इस शर्त्त के साथ आरोप मुक्त किया जाता है कि भविष्य में वे अपने कार्य के प्रति सचेत रहें।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–

(विक्रम विरकर)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः–08/आ05–33/2024......206.......   पटना, दिनांक...11.02.2026...

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास एवं पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), रोहतास एवं पटना /संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री सुधीर कान्त शर्मा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास –सम्प्रति–निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)